संख्या–आई/1071183/2025

प्रेषक,

अमित कुमार घोष,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री संजीव भारद्वाज,
चेयरमैन,
न्यू टयूपल्स एजुकेशनल सोसायटी,
सरधाना रोड, मेरठ।

पशुधन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 28 अगस्त, 2025

विषय :– न्यू टयूपल्स एजुकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित महावीर विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत नवनिर्मित फैकल्टी ऑफ वेटनरी सांइस एण्ड काऊ रिसर्च सेंटर (बी0वी0एस0सी0 कोर्स) के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 26–08–2025 तथा 08–08–2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से न्यू टयूपल्स एजुकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित महावीर विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत नवनिर्मित फैकल्टी ऑफ वेटनरी सांइस एण्ड काऊ रिसर्च सेंटर (बी0वी0एस0सी0 कोर्स) को प्रारम्भ किये जाने हेतु भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली द्वारा नवीन रेग्युलेशन, 2017 के अनुसार अनिवार्यता प्रमाण–पत्र तथा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री संजीव भारद्वाज, चेयरमैन, न्यू टयूपल्स एजुकेशनल सोसायटी, सरधाना रोड, मेरठ ने पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन किया है (मो0नं0–9557928863, फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एण्ड काऊ रिसर्च सेन्टर, महावीर विश्वविद्यालय, सरधाना रोड, मेरठ–250341)। प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् उ0प्र0 सरकार को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक (पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक–डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 2016 समय–समय पर यथा उपबंधित के अनुसार कोई आपत्ति नहीं है और इस निमित्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
Digitally signed by
AMIT KUMAR GHOSH
Date: 28-08-2025
13:38:14 (अमित कुमार घोष)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त वर्णित स्थितियों में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रश्नगत प्रकरण को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली को सन्दर्भित करने का कष्ट करें।
(2) रजिस्ट्रार, महावीर विश्वविद्यालय, मेरठ।

आज्ञा से,
/
(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

संख्या–आई/1071175 /2025

प्रेषक,

अमित कुमार घोष,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री संजीव भारद्वाज,
चेयरमैन,
न्यू टयूपल्स एजुकेशनल सोसायटी,
सरधाना रोड, मेरठ।

पशुधन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक :28 अगस्त, 2025

विषय :– **न्यू टयूपल्स एजुकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित महावीर विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत नवनिर्मित फैकल्टी ऑफ वेटनरी सांइस एण्ड काऊ रिसर्च सेंटर (बी0वी0एस0सी0 कोर्स) के संचालन हेतु अनिवार्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 26–08–2025 तथा 08–08–2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से न्यू टयूपल्स एजुकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित महावीर विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत नवनिर्मित फैकल्टी ऑफ वेटनरी सांइस एण्ड काऊ रिसर्च सेंटर (बी0वी0एस0सी0 कोर्स) के संचालन हेतु अनिवार्यता प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– वांछित प्रमाण–पत्र नीचे दिए अनुसार हैं :–

(1) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पहले से ही विद्यमान पशु चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थाओं की संख्या–05

(2) उपलब्ध सीटों की संख्या या वार्षिक रूप से स्नातक होने वाले पशु चिकित्सा चिकित्सकों की संख्या–370

(3) राज्य पशु चिकित्सा परिषद के पास रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या– 8500

(4) सरकारी सेवा में पशु चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या–1769

(5) सरकार में पशु चिकित्सा व्यवसायियों के रिक्त पदों की संख्या–540

(6) ग्रामीण या कठिन क्षेत्रों में सरकार में पशु चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या–137

(7) रोजगार एक्सचेंज के पास रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायियों की संख्या–N.A. (उपलब्ध नहीं)

(8) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस समय पशु चिकित्सा व्यवसायियों का प्राणी जनसंख्या से अनुपात–1:11668

(9) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस समय पशु चिकित्सा व्यवसायियों का बीमार प्राणी जनसंख्या से अनुपात–1:8694

(10) राज्य द्वारा हासिल किए जाने के लिए प्रस्तावित पशु चिकित्सा व्यवसायियों का प्राणी जनसंख्या से अनुपात–1:5000

(11) पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कैसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अर्हित पशु चिकित्सा व्यवसायियों की कमी की समस्या का समाधान करेगी और कैसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में ऐसी पशु चिकित्सा जनशक्ति की उपलब्धता में सुधार करेगी:– पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना स्थानीय शिक्षा के अवसर प्रदान करके, क्षेत्र के भीतर प्रतिभा को बनाए रखकर, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा तैयार करके, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देकर, सहयोग को बढ़ावा देकर और अंततः राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर पशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करके योग्य पशु चिकित्सकों की कमी को दूर करने में मदद कर सकती है।

(12) विद्यार्थियों पर राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा, जो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में अधिवास नहीं करते हैं, पर राज्य में दाखिल अभिप्राप्त करने पर अधिरोपित निबॅधन, यदि कोई हों, को विनिर्दिष्ट किया जाएगा :– पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में 15 प्रतिशत सीटों में वी.सी. आई. कोटा होता है जिसमें कोई अधिवास प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। बी.एच.यू. और और आई.वी.आर.आई. जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में शेष 85 प्रतिशत सीटों पर निवास अनिवार्य है।

(13) प्रस्तावित पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना का पूर्ण न्यायोचित्य– राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, प्रत्येक 5,000 पशुओं के लिए एक पशु चिकित्सक/संस्था की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश राज्य में 5754 पशुचिकित्सक और 5 पशु चिकित्सा महाविद्यालय और 2202 पशु चिकित्सालय और 520 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ हैं। उत्तर प्रदेश में 20वीं पशुधन गणना के अनुसार कुल पशुधन आबादी लगभग 679.08 लाख है जो लगभग 13580 पशु चिकित्सकों की आवश्यकता के बराबर है। उत्तर प्रदेश में लगभग 7760 पशु चिकित्सकों की कमी है।

कई क्षेत्रों में योग्य पशु चिकित्सकों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण पशु स्वास्थ्य सेवाओं से समझौता होता है और उत्पादकता कम होती है। पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से कुशल पशु चिकित्सकों की एक सतत् धारा तैयार करके इस कमी को कम किया जा सकता है जो राज्य की मांगों को पूरा करने के लिए सुसज्जित हैं।

पशुचिकित्सा पेशेवर जूनोटिक रोगों की निगरानी और नियंत्रण, खाद्य सुरक्षा निरीक्षण करने और रोग की रोकथाम और नियंत्रण में विशेषज्ञता प्रदान करके सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री संजीव भारद्वाज, चेयरमैन, न्यू टयूपल्स एजुकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित महावीर विश्वविद्यालय, सरधाना रोड, मेरठ ने पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन किया है (मो0नं0–9557928863, फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एण्ड काऊ रिसर्च सेन्टर, महावीर विश्वविद्यालय, सरधाना रोड, मेरठ–250341)। प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने आवेदक को एक सौ साठ सीटों (160) के साथ पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनिवार्यता प्रमाण–पत्र जारी करने का विनिश्चय किया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि :—

1. आवेदक के स्वामित्व में अप्रबंधन में एक पशु चिकित्सा नैदानिक परिसर (वीसीसी) और अनुदेशात्मक पशुधन फार्म परिसर (आईएलएफसी) है, जैसा कि पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानकों में विनिर्दिष्ट है, जिसकी स्थापना 2024 में की गई है।
2. लोक हित में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करना वांछनीय है।
3. श्री संजीव भारद्वाज, चेयरमैन, न्यू टयूपल्स एजुकेशनल सोसायटी सरधाना रोड, मेरठ द्वारा पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना साध्य है।
4. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के संनियमों के अनुसार आवेदक के पास पर्याप्त नैदानिक सामग्री उपलब्ध है।

4— यह और प्रमाणित किया जाता है कि यदि आवेदक केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित विनियमों और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा विरचित विनियमों के अनुसार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के लिए अवसंरचना का सृजन करने में असफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा नए दाखिले करने की अनुज्ञा को वापस ले लिया जाता है तो वह पशु चिकित्सा महाविद्यालय में पहले ही दाखिल किए गए विद्यार्थियों को किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय में स्थानांतरित करने में पूर्ण सहयोग देगा।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by
AMIT KUMAR GHOSH
Date: 28-08-2025
13:36:35

(अमित कुमार घोष)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) सचिव, पशुपालन एवं डेरी विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त वर्णित स्थितियों में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रश्नगत प्रकरण को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली को सन्दर्भित करने का कष्ट करें।

(2) रजिस्ट्रार, महावीर विश्वविद्यालय, मेरठ।

आज्ञा से,

Digitally signed by
RAVINDRA PRATAP SINGH
Date: 28-08-2025
13:55:31

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।